# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## चतुर्थ सत्र

**समाचार भाग-1**

**संख्या**: 29

**सोमवार**, 10 **दिसम्बर**, 2018/19 **मार्गशीर्ष**,1940 (**शक्**)

## सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

**समय**: 2.00 **बजे** (**अपराह्न**)

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 2.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।**

### माननीय अध्यक्ष का संबोधन

शीतकालीन सत्र का प्रारंभ होने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न शब्दों में अपना संक्षिप्त संबोधन दिया:-

*"इस शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रीगण विशेषकर सदन के नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी व माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि जहां माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं आपसे भी यह अपेक्षा करूंगा कि आप भी नियमों की परिधि में रह कर चर्चाओं*

*को सार्थक बनाने में सहयोग करें। सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह अपेक्षा भी रहेगी कि इस सदन की कार्यवाही के संचालन में मुझे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।"*

(राष्ट्रीय गान गाया गया)

**<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>**

माननीय अध्यक्ष के संक्षिप्त संबोधन के पश्चात जैसे ही उन्होंने प्रश्नकाल प्रारंभ होने की घोषणा की, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्कूलों में बच्चों को वर्दियां उपलब्ध न कराए जाने सहित कई अन्य विषयों को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया। माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बहुमूल्य समय में उन्हें यह विषय न उठाने तथा इन विषयों को नियमों के तहत नोटिस देकर उठाने के लिए कहा। फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात जारी रखी। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न विषयों पर केन्द्रित एक ज्ञापन भी सदन के पटल पर रखा। फिर कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के सदस्य भी अपनी बात रखने लगे। जब लंबे समय तक दोनों ओर के सदस्य अपनी-अपनी बात कहने के साथ नारेबाजी भी करने लगे तो इसी दौरान माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल आरंभ कर दिया।

## 1. <u>प्रश्नोत्तर</u>

### (I) तारांकित प्रश्न

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 85 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। कांग्रेस विधायक दल के संबंधित सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्याः 804, 805, 806 तथा 807 अपनी नारेबाजी के दौरान नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 808 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

02.17 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।

02.19 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

तारांकित प्रश्न संख्या 809, 810 व 811 नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 812 से 817 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 818 से 869 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

### (II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 132 तथा 178 से 193 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. <u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 से आरंभ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

## 3. <u>स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर</u>

सचिव, विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 9) की प्रति सभा पटल पर रखी, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

## 4. <u>अध्यादेश</u>

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.10.2018 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर

(संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) को सभा पटल पर रखा।

## 5. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन जोकि महिला विकास प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित योजनाओं के अंतर्गत वृद्धों के लिए चलाए जा रहे वृद्ध आश्रमों से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का पंचम् मूल प्रतिवेदन जोकि प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का छठा मूल प्रतिवेदन जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

## 6. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

श्री राकेश जम्वाल ने दिनांक 25 नवम्बर, 2018 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "चमुखा में फोरलेन के गिर रहे डंगों से हादसों का ख़तरा" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

## मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणी

माननीय मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा बिना किसी नोटिस के सदन में विभिन्न विषय उठाने तथा कांग्रेस विधायक दल द्वारा सदन से बहिर्गमन करने पर अफसोस व्यक्त करते हुए इसकी निंदा एवं भर्त्सना की।

## मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्यमंत्री ने पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सीय कार्यों के लिए जिला सोलन के साधु पुल में लीज़ पर दी गई भूमि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया।

## 7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

श्री राकेश पठानिया व श्री रमेश चन्द ध्वाला ने नियम-130 के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की।

*"प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण भूगर्भ एवं सिंचाई योजनाओं में घटते जलस्तर से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"*

प्रस्ताव पर निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री हंस राज, उपाध्यक्ष
2. श्री राकेश सिंघा

(**माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।**)

3. श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह
4. श्री सुख राम
5. श्री बलबीर सिंह
6. श्री किशोरी लाल
7. श्री जीत राम कटवाल

(**माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।**)

8. श्री राजिन्द्र गर्ग

माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(05.45 **बजे सांय सदन की बैठक मंगलवार**, **दिनांक** 11 **दिसम्बर**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।**)